उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 238वीं बैठक
दिनांक 20 सितम्बर, 2016 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 238वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4—	श्री रुद्र प्रताप सिंह	सचिव / आवास आयुक्त, आ0वि0प0	सचिव / सदस्य
5—	श्री सुशील कुमार गुप्ता	वित्त नियंत्रक	सदस्य
6—	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
7—	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, सीटीसीपी उ0प्र0	सदस्य
8—	श्री एस.के.सिंह	उपसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
9—	श्री सुभाष चन्द	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
10—	श्री दुर्गेश श्रीवास्तव	अधीअभियंता,उपाध्यक्ष,लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
238 / 1	परिषद की 237वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 237वीं बैठक दि0 03.08.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
238 / 2	परिषद की 237वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2016 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 237वीं बैठक दि0 03.08.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा अवशेष अनुपालन समयबद्ध ढंग से कराकर आगामी बैठक में रखा जाय।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

238 / 3	मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के क्रम में संजय विहार योजना, सं0—2 हापुड़ में लगभग 2200 वर्गमीटर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि का भू—उपयोग मिश्रित है जिसकी वर्तमान दर रु0 18,480.00 प्र.व.मी. दर है। इस दर पर आवेदक को लेने हेतु ऑफर दिया जाय, सहमति न बनने पर नीलामी की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
238 / 4	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक से समूह आवास में परिवर्तित भूखण्ड संख्या—15 / कॉम—2 के विरूद्ध देय अवशेष धनराशि को किश्तों में करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण पर परिषद की 237वीं बैठक दिनांक 03.8.16 के मद सं0 42 पर आवेदक को धनराशि जमा करने हेतु एक वर्ष का समय प्रदान किया गया था, यदि आवेदक अवशेष धनराशि का 20% जमा कर आवेदन प्रस्तुत करते है तो प्रकरण पर विचार किया जाय।
238 / 5	गाजियाबाद व लखनऊ में स्थित 5.00 एकड़ तक के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	का निस्तारण टू–बिड सिस्टम के स्थान पर खुली नीलामी/सील्ड बिड के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।	
238/6	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में बल्क सेल भूखण्ड संख्या–4/बी0 एस0–3 व 4/बी0एस0–4 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238/7	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में मैसर्स आर0जी0 बिल्डवेल इंजीनियर्स लि0 को आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–2ए/सी0पी0–1 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने तथा भविष्य में इस तरह के प्रस्ताव की पुनरावृत्ति न किये जाने का निर्णय लिया गया।
238/8	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में पुनरीक्षित विनियमों में संशोधन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238/9	मै0 भाग्यराज डेवलपर्स प्रा0लि0 के पक्ष में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एन/काम–5 क्षेत्रफल 741.32 का स्थल पर क्षेत्रफल कम होने के कारण कम क्षेत्रफल की भूमि को अन्यत्र स्थान की भूमि (नव सृजित व्यावसायिक भूखण्ड) दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि अवशेष भूमि योजना के वैकल्पिक स्थान पर आवंटित की जाय।

प्रशासन अनुभाग

238/10	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला अनुभाग

238/11	आवासीय भूखण्ड सं0 ए–411 इन्दिरानगर, लखनऊ के आवासीय से कार्यालय हेतु भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव भवन निर्माण उपविधि–2008 के प्रस्तर 2.3.2 (I) 'किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होना आवश्यक है' से आच्छादित न होने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

238/12	जनपद गोण्डा में गोण्डा–फैजाबाद मार्ग पर स्थित जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की 5.3520 हे0 भूमि पर आवासीय योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर पूर्व में सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है, पुनः यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि वादग्रस्त न हो, साथ ही भौतिक कब्जा प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न होने की संभावना की शर्त के अधीन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
238/13	जनपद मेरठ के ग्राम लिसाडी में परिषद की नई योजना संचालित किये जाने हेतु आपसी समझौते/बैनामे से क्रय किये जाने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में सैद्धान्तिक अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त यह परीक्षण करा ले कि प्रश्नगत भूमि

		विवादरहित व रिक्त हो, भौतिक कब्जा प्राप्त होने की सुनिश्चितता करते हुए वह समस्त विधायी औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया।
238/14	बरेली शहर में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बरेली–शाहजहाँपुर मुख्य बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर रोड परसाखेड़ा, बरेली की भूमि की जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2002 को निर्धारित दरों के स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी विचार किया गया कि बरेली जनपद में परिषद द्वारा नवीन कालोनी के विकास का प्रस्ताव जब रखा जाय तो विशेष रुप से यह अवश्य परीक्षण करा लिया जाय कि 50 एकड़ तक की छोटी परियोजनाएं यूनिटवार सृजित की जाय, जिसमें एक निर्धारित समय में उसे विकसित करते हुए लाभार्थियों को आवंटित कराया जाय। मात्र भूमि के क्रय करने का हमारा उद्देश्य न हो, भूमि उतनी ही क्रय की जाय जितनी हमारी आवश्यकता हो। भविष्य में पूरे प्रोजेक्ट के साथ भूमि अधिग्रहण का सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
238/15	सिकन्दरा योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम गैलाना के खसरा संख्या–1048, 1049, 1050, 1051 व 1052 की भूमि के सम्बन्ध में मा0 अपर जिला जज, (सि0डि0) आगरा में दायर वाद संख्या–1003/1986 राम सहाय बनाम परिषद में मा0 न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 05.07.1996 से प्रभावित आवासीय भूखण्डों को आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	परिषद के समक्ष मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि पर स्थगन होने के कारण सड़क एवं सीवर का कार्य अवरुद्ध है, सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सड़क एवं सीवर का समाधान कराकर प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः रखे जाने का निर्णय लिया गया।
238/16	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5, आगरा में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित 1289.59 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में 139.8435 हैक्टेयर (345.55 एकड़) भूमि को काश्तकारों/भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर बैनामे के द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5 एक महत्वाकांक्षी आवासीय योजना है, 345 एकड़ भूमि के लिये लगभग 700 करोड़ व्यय का अनुमान है। आज की रियल एस्टेट की आर्थिक परिस्थितियां जो है उसमें भूमि–क्रय करना उद्देश्य नही होना चाहिए। छोटी लगभग 100 एकड़ की आवासीय परियोजना की परिकल्पना की जाय जिसमें पूर्ण स्वामित्व हो, न्यूनतम दर हो, भौतिक कब्जा स्पष्ट हो तथा उत्पाद की विक्रयशीलता रहें, इन सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुए लगभग 100 एकड़ भूमि लेने का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
238/17	वृन्दावन योजना सं0–2, भाग–1, लखनऊ में रायबरेली रोड के किनारे स्थित स्वास्थ्य विहार नामक कालोनी के निरीक्षण दिनांक 06.06.2014 के	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त विकास शुल्क लेकर समायोजित किये जाने निर्णय लिया गया।

	संबंध में।	
238/18	परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–8 (शाकुम्भरी विहार योजना), सहारनपुर के जल–कल निस्तारण हेतु प्रस्तावित योजना सं0–9, सहारनपुर के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा उन्नाव नगर में प्रस्तावित गृहस्थान योजना सं0–02 की अधिसूचना को निरस्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238/20	वृन्दावन योजना सं0–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–उतरेठिया के खसरा संख्या 40 में से 800.00 वर्गमी0 भूमि वर्तमान दर पर आवंटन करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने तथा व्यावसायिक दर पर नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया।
238/21	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बिहारीपुर के खसरा संख्या–276 रकबा 1–9–0 बीघा भूमि में से समायोजित की गयी 1642.87 वर्ग मीटर भूमि का वर्तमान दर का विकास शुल्क लेकर समायोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त 1642.87 व.मी. भूमि के प्रतिकर समायोजित करते हुए व्याज सहित वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
238/22	उ0प्र0 एवं विकास परिषद की झूंसी योजना संख्या–2, इलाहाबाद के अन्तर्गत अधिग्रहीत सखरा संख्या–430, रकबा 1–2–0 बीघा में से दिनांक 18. 10.2006 को क्रय किये गये रकबे 0–6–10 अर्थात 741 वर्ग मी0 का स्वामित्व सम्बन्धी नामान्तरण आदेश दिनांक 30.11.2006 को उप जिलाधिकारी इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में चल रहे विचाराधीन वाद को आउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेन्ट करते हुए 741 वर्ग मी0 भूमि को समायोजित करते हुए झूंसी योजना संख्या–3, इलाहाबाद में परिषद की सम्पत्ति को समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	आवेदक के स्वामित्व–निर्धारण का मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ले–आउट. प्लान एवं सजरा प्लान पर खसरा सं0 430 की भूमि को चिन्हित करते हुए आवेदित सम्पत्तियों की उपलब्धता एवं उनके भू–उपयोग परिवर्तन के मानकों के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालय से सुविचारित आख्या प्राप्त कर, प्रकरण का विधिक परीक्षण कराते हुए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
238/23	परिषद की मझोला योजना सं0–4, भाग–2, मुरादाबाद के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार आदि पुत्र स्व0 बृजराज सरन के खसरा सं0–405, 406, 408, 409/2 व 410 की 1.42 एकड़ भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव मेरिट के आधार पर सुसंगत नियमों के आलोक में परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

238 / 24	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–7डी में सरयू इन्कलैव के अन्तर्गत प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के 1960 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना के 680 नग कुल 2640 बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा समाजवादी आवास योजना का पंजीकरण स्थायी रुप से खोले जाने का निर्णय भी लिया गया।
238 / 25	परिषद की राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ के सेक्टर–6 में स्थित मिनी इण्डोर स्टेडियम को अनुरक्षण आदि हेतु प्राइवेट संस्था को दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
238 / 26	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–1 में निर्मित अवध शिल्प ग्राम के आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स हेतु प्राप्त निविदा दर पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अनुरक्षण अनुभाग

238 / 27	परिषद के माल एवेन्यू लखनऊ स्थित योजना में भवन संख्या–12 गेस्ट हाउस (आवास आयुक्त कैम्प कार्यालय / निवास) की परिषद हेतु उपयोगिता न होने के फलस्वरूप नीलामी के द्वारा आवंटित किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एम0डी0सी0

238 / 28	परिषद के इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–14 में स्थापित सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स एण्ड ट्रेनिंग परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल के उपयोग, संचालन एवं अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

238 / 29	परिषद की मार्टिनपुरवा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के परित्याग के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238 / 30	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की रामघाट रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–13, अलीगढ़ की भूमि को भू–स्वामियों से आपसी समझौते से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238 / 31	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बेतियाहाता दक्षिणी योजना गोरखपुर के अन्तर्गत भूखण्ड सं0 254, 255 व 257	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एक समिति बनाकर समाधान आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का

	में क्रय किये गये भूमि क्रमशः 9000 वर्ग फिट, 5781 वर्ग फिट व 6542 वर्ग फिट, 3141 वर्ग फिट, 3142 वर्ग फिट एवं 3096 वर्ग फिट कुल 30702 वर्ग फिट भूमि का मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील को वापस करवाकर दिनांक 07 अप्रैल 2003 को जारी शासनादेश संख्या–1049/2003 को अनुपालित कराने एवं प्रार्थीगणो तथा भूस्वामी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया।

समन्वय अनुभाग

238/32	परिषद योजनाओं में स्थित स्टाफ भवनों को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजी रूप से आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

238/33	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में प्रस्तावित आईकॉनिक टॉवर (बहुमंजिली कार्यालय भवन) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

238/34	सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन पर महंगाई राहत देने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
238/35	मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

238/36	वृन्दावन योजना सं0–2 भाग–1, लखनऊ में रायबरेली रोड के किनारे स्थित ग्राम हैवतमऊ मवैया एवं ग्राम उतरेठिया को (रायबरेली रोड, रेलवे ट्रैक, शहीद पथ एंव शारदा कैनाल के मध्य) अनियोजित भूमि को आवंटन/समायोजन के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त का परीक्षण कर विस्तृत रुप से प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
238/37	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	परिषद के वित्तीय बिन्दुओं की कार्यसूची पर आगामी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाये।

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष

सचिव/आवास आयुक्त